

पत्र संख्या-सामान्य स्थानान्तरण-मनो0कर लिपिक संवर्ग/2022-23/ 1561 /राज्य कर,

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2022

आदेश

राज्य कर विभाग (पूर्व मनोरंजन कर) के लिपिक संवर्ग, में कार्यरत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क0 सं0	कर्मचारी का नाम/ पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/ स्थान	कार्यालय जहां स्थानान्तरित/ तैनात किया जाता है
01	02	03	04
1	श्री रजनीश मिश्रा, कनिष्ठ सहायक	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, मुख्यालय जवाहर भवन, लखनऊ।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, अयोध्या।
2	श्री नवमी लाल वरिष्ठ सहायक	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय कासगंज	राज्य कर, मुख्यालय, (पूर्व मनोरंजन कर जवाहर भवन, लखनऊ।
3	श्री अंकित सिंह, कनिष्ठ सहायक	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, इटावा	राज्य कर, मुख्यालय, (पूर्व मनोरंजन कर, मुख्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4	श्री अनुज कुमार, कनिष्ठ सहायक	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, लखनऊ	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, फतेहपुर।
5	श्री इन्द्रजीत सिंह चौहान, कनिष्ठ सहायक।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, गोण्डा।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, गोरखपुर।
6	श्री सराजुद्दीन अंसारी, उर्दू अनुवादक/सह प्रधान सहायक।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, सीतापुर	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, कानपुर नगर।
7	श्री रईस अहमद, उर्दू अनुवादक/ सह प्रधान सहायक।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, आजमगढ़	राज्य कर, मुख्यालय, (पूर्व मनोरंजन कर, मुख्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8	मो0 कामरान खान, उर्दू अनुवादक/ सह प्रधान सहायक।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, पीलीभीत।	पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय, बरेली।

1-क्रमांक 01 से 08 पर अंकित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है। अतः इन्हें कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

2-उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त करते हुए उन्हें नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जायेगा।

3-उपरोक्त कार्मिकों के नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति दिनांक 15.06.2022 के बिन्दु संख्या-11(1) के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 30.06.2022 के क्रम में जारी किया जाता है।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-संबंधित जोन अपर आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 को इस आशय के साथ कि कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सम्भाग/जोन कार्यालय में प्रभावी होगा।
- 3-संबंधित संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक) राज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 4-संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 5-संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- 6-संबंधित उपायुक्त(प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी राज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 7-संबंधित जनपद प्रभारी(मनोरंजन कर कार्य) उ0प्र0।
- 8-स्थापना-5(क)पूर्व मनोरंजन कर स्थापना अराजपत्रित अनुभाग राज्य कर मुख्यालय।
- 9-संबंधित कर्मचारियों को नाम से।

(पी0एन0यादव)

संयुक्त आयुक्त(स्था0अराज0)राज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।